

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 11 सित 2019

अनवान :-

1. गुगन पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।  
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 06/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 125/121 के खसरा न0 352 की 8.0300 ,खसरा न0 430/351 की 1.0120हैक् कुल 9.0420हैक् भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसमें वादी के पिता का नाम पुरखा दर्ज किया हुआ है।

वादी के पिता का सही नाम सहीराम पुत्र रामुराम है जिनका देहान्त हो चुका है प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करते समय दर्ज हुआ है वादी के पिता का सही नाम सहीराम पुत्र रामुराम है जिसे संशोधन करवाने का अधिकारी है

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है एवं प्रार्थी के पिता के देहान्त होने के बाद विरास्तन नामान्तरण दर्ज करने में कानूनी अडचन आ रही एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, मुल निवास प्रमाण पत्र , परिवार राशन कार्ड मृत्यू प्रमाण पत्र भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक में वादी के पिता का नाम सहीराम दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से पुरखा दर्ज है

सरपंच ग्राम पंचायत पाण्डुसर के प्रमाण पत्र के अनुसार वादी के पिता का सही नाम सहीराम पुत्र रामुराम है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से गलत तौर से पुरखा पुत्र रामुराम दर्ज है सहीराम को व्यक्तिगत रूप से जानता हू सही नाम सहीराम पुत्र रामुराम है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 125/121 की कुल 9.0420हैक् में 1/2 हिस्सा में वादी के पिता का नाम पुरखा पुत्र रामुराम के स्थान पर सहीराम पुत्र रामुराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से तहसीलदार नोहर पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाब पेश किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वादी के पिता नाम राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना निस्तारण फरमावें।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 125/121 के खसरा न0 352 की 8.0300 ,खसरा न0 430/351 की 1.0120हैक् कुल 9.0420हैक् भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसमें वादी के पिता का नाम पुरखा दर्ज किया हुआ है।

वादी के पिता का सही नाम सहीराम पुत्र रामुराम है जिनका देहान्त हो चुका है प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करते समय दर्ज हुआ है वादी के पिता का सही नाम सहीराम पुत्र रामुराम है जिसे संशोधन करवाने का अधिकारी है

प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है एवं प्रार्थी के पिता के देहान्त होने के बाद विरास्तन नामान्तरण दर्ज करने में कानूनी अडचन आ रही एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी के पिता

का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, मुल निवास प्रमाण पत्र , परिवार राशन कार्ड मृत्यू प्रमाण पत्र भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक में वादी के पिता का नाम सहीराम दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से पुरखा दर्ज है

सरपंच ग्राम पंचायत पाण्डुसर के प्रमाण पत्र के अनुसार वादी के पिता का सही नाम सहीराम पुत्र रामुराम है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से गलत तौर से पुरखा पुत्र रामुराम दर्ज है सहीराम को व्यक्तिगत रूप से जानता हू सही नाम सहीराम पुत्र रामुराम है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 125/121 की कुल 9.0420हैक् में 1/2 हिस्सा में वादी के पिता का नाम पुरखा पुत्र रामुराम के स्थान पर सहीराम पुत्र रामुराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 125/121 की कुल 9.0420हैक् भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसमें वादी के पिता का नाम पुरखा पुत्र रामुराम दर्ज है।

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम सहीराम पुत्र रामुराम है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम पुरखा पुत्र रामुराम दर्ज है जिसे संशोधन करवाकर पुरखा के स्थान पर सहीराम संशोधन करवाना चाहते है।

प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, मुल निवास प्रमाण पत्र , परिवार राशन कार्ड मृत्यू प्रमाण पत्र भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक में वादी के पिता का नाम सहीराम दर्ज है

सरपंच ग्राम पंचायत पाण्डुसर के द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि प्रार्थी एवं उसका परिवार ग्राम पाण्डुसर में निवासी करते है प्रार्थी के पिता को व्यक्तिगत रूप से जानते है जिनका नाम सहीराम पुत्र रामुराम है राजस्व रिकार्ड में सहवन से दर्ज हुआ है सही नाम सहीराम है ।

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सहकाश्तकारों के हिस्सों में परिवर्तन नहीं होता है एवं नाम संशोधन से राज्य सरकार को भी किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सरपंच ग्राम पंचायत पाण्डुसर के प्रमाण पत्र , पेरोकार राज के जबाब प्रार्थी एवं उसके परिवार के शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम सहीराम होना प्रतीत होता है अर्थात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों /सरपंच ग्राम पंचायत पाण्डुसर के प्रमाण पत्र व स्वयं प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 125/121 की कुल 9.0420हैक् में प्रार्थी के पिता का नाम पुरखा पुत्र रामुराम के स्थान पर सहीराम उर्फ पुरखा पुत्र रामुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 4/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )